



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 भाद्र, 1945 (श०)

संख्या - 527 राँची, मंगलवार,

29 अगस्त, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

17 अगस्त, 2023

विषय:- झारखण्ड राज्य के वैसे जिले, जहाँ जिलास्तरीय पदों में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के लिए झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में आरक्षण शून्य है, वैसे जिलों में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के सदस्यों को EWS के रूप में, अगले आदेश तक आवेदन करने तथा नियुक्ति हेतु पात्र किए जाने के संबंध में।

संख्या-14/आ०नी०-04-04/2019का०-4697--विभागीय संकल्प सं०-5795, दिनांक-10.10.2002 के द्वारा राज्य सरकार का निर्णय संसूचित है कि जिला स्तर पर सीधी नियुक्ति में आरक्षित कोटि की रिक्तियों को विभिन्न कोटियों में विभाजित करने हेतु अविभाजित बिहार में लागू व्यवस्था के अनुरूप सर्वप्रथम अनुसूचित जाति को 1991 की जनगणना के अनुसार जिलावार जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण उपलब्ध कराया जाय। उसके पश्चात् अनुसूचित जनजाति को 1991 की जिलावार जनगणना के अनुसार आरक्षण उपलब्ध कराया जाना है। अगर दोनों को मिलाकर 50

प्रतिशत से संख्या बढ़ जाती है तो आरक्षण 50 प्रतिशत तक ही सीमित रखा जाएगा। इस प्रक्रिया के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण उपलब्ध कराने के बाद 50 प्रतिशत में से संख्या उपलब्ध होती है तो वह शेष प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्गों (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को मिलाकर एक कोटि मानकर) उपलब्ध कराया जाय ।

कालान्तर में संकल्प संख्या-2020, दिनांक-09.04.2010 द्वारा जिला स्तरीय पदों में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को अलग-अलग आरक्षण प्रतिशत निर्धारित करते हुए आरक्षण रोस्टर बिन्दु तय की गई।

2. उल्लेख करना है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं0-4645, दिनांक-27.07.2022 द्वारा झारखण्ड राज्य की ऐसी जातियाँ, जो राज्य के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) की सूची में सूचीबद्ध हैं परन्तु केन्द्रीय ओ0बी0सी0 की सूची में सूचीबद्ध नहीं हैं को केन्द्र सरकार की सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग (EWS) के रूप में आरक्षण का लाभ अनुमान्य किया गया है ।

3. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के मूल अधिनियम की धारा 4(1) एवं 4(2) के प्रावधान को विलोपित करते हुए उसे निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया गया है:-

4(1) किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियाँ, जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाने वाली हो, निम्नलिखित रूप से विनियमित की जाएगी, यथा-

(क) खुली गुणागुण (मेरिट) कोटि से	-	40 प्रतिशत
(ख) आरक्षित कोटि से	-	60 प्रतिशत

4(2) आरक्षित कोटि की 60 प्रतिशत में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ निम्न रूपेण होंगी:-

(क) अनुसूचित जाति	-	10 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजाति	-	26 प्रतिशत
(ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)	-	08 प्रतिशत
(घ) पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2)	-	06 प्रतिशत
(ङ) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग		
(उपर्युक्त कंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में अंकित वर्गों को छोड़कर)	-	10 प्रतिशत

कुल 60 प्रतिशत

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 1(3) के द्वारा निम्न प्रावधान प्रख्यापित है:-

“राज्य स्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में यह अधिनियम तत्काल प्रभावी होगा किन्तु जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामले में यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो तिथि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के द्वारा नियत करे।”

4. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं०-1617, दिनांक-17.03.2023 द्वारा जिला स्तरीय पदों पर नियुक्ति के मामलों में भी आरक्षित वर्ग को अनुमान्य आरक्षण प्रतिशत में बिना किसी परिवर्तन के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को आरक्षण प्रदान करते हुए जिला स्तर का 100 बिन्दुओं का संशोधित आदर्श आरक्षण रॉस्टर संसूचित है।

आदर्श आरक्षण रॉस्टर के तहत निम्न सात जिलों में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) को आरक्षण शून्य है:-

1.लोहरदगा 2.गुमला 3.सिमडेगा 4.पश्चिमी सिंहभूम 5.दुमका 6.लातेहार एवं 7.खूँटी।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड राज्य के वैसे जिले, जहाँ जिलास्तरीय पदों में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के लिए झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में आरक्षण शून्य है, वैसे जिलों में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के सदस्यों को EWS के रूप में, अगले आदेश तक आवेदन करने तथा नियुक्ति हेतु पात्र माने जाएंगे।

5. वैसे जिले, जहाँ जिलास्तरीय पदों में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) का आरक्षण शून्य है, वैसे जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग के रूप में आवेदन समर्पित करने एवं नियुक्ति हेतु पात्र माने जाने के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा इन जिलों हेतु विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-क) में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी केवल अपने ही जिले में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

6. आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र विभागीय संकल्प सं०-1433, दिनांक-15.02.2019 के शर्तों के अनुरूप होगा तथा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव।

परिशिष्ट-क**Government of Jharkhand**

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

(Applicable exclusively to the applicant of EBC-I and BC-II in the districts of Lohardaga, Gumla, Simdega, West Singhbhum, Dumka, Latehar and Khunti for District cadre posts)

Certificate No. _____ Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter/wife of _____ permanent resident of _____ village/Street _____ post Office _____ District _____ in the State/Union Territory Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her 'family** is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____. His/her family does not own or possess any of the following assests***:

- I. 5 acres of agricultural land and above;
 - II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
 - III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
 - IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.
2. Shri/Smt./Kumari _____ District _____ belongs to the..... caste which is recognized as EBC-I / BC-II for the State of Jharkhand.
3. This Certificate is valid for district only.

Recent
Passport
size attested
Photograph
of the
applicant

Signature with seal of office _____

Name _____

Designation _____

*Note1:. Income covered all sources i.e. salary, business, profession, etc.

**Note2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

***Note3: The property held by a "Family" in different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.
